



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2479]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2017/भाद्र 8, 1939

No. 2479]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2017/BHADRA 8, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

का.आ. 2827(अ).—बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1022 (अ), तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीन मास की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 3 अप्रैल, 2017 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है ;

अतः, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित अधिसूचना अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की अनुसूची में, कोष्ठकों, अंकों और शब्दों—

'(1) खानें।

(2) ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक।

(3) परिसंकटमय प्रक्रियाएं।

स्पष्टीकरण.—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, "परिसंकटमय प्रक्रियाएं" का वही अर्थ होगा जो उसे कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 43) के खंड (गख) में दिया गया है।

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

"खण्ड क

परिसंकटमय व्यवसाय तथा प्रक्रियाएं जिनमें कुमारों का काम करना तथा बालकों का मदद करना निषेध है

(1) खानें और कोलियरी (भूमिगत तथा जलमग्न) तथा इनसे संबंधित कार्य,

(i) पत्थर खानें;

(ii) ईंटों की भट्टियां;

(iii) इनकी तैयारी तथा प्रासंगिक प्रक्रियाओं जिनमें पत्थर या चूना या स्लेट या सिलिका या माइका अथवा भूमि से उत्कर्षित कोई अन्य तत्व अथवा खनिज का खनन, पिसाई, कटाई, विपाटन, पोलिश करना, एकत्रण तथा मरम्मत करना शामिल है; अथवा

(iv) खुले गड्ढे की खानें।

(2) ज्वलनशील पदार्थ तथा विस्फोटक जैसे—

(i) पटाखों का उत्पादन, संग्रहण अथवा बिक्री;

(ii) विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के अंतर्गत परिभाषित विस्फोटकों का उत्पादन, संग्रहण, बिक्री, लादना, उतरना;

(iii) उत्पादन, प्रहस्तन, पिसाई, चमकाना, कटाई, पोलिश, वेल्डिंग, सांचे में ढालना, इलेक्ट्रो प्लेटिंग से संबंधित कार्य तथा अन्य कोई प्रक्रिया से संबंधित कार्य जिसमें ज्वलनशील पदार्थ हों; अथवा

(iv) ज्वलनशील पदार्थों, विस्फोटकों तथा उनके उप-उत्पादों का अपशिष्ट प्रबंधन।

(v) प्राकृतिक गैस और अन्य संबंध उत्पाद।

परिसंकटमय प्रक्रियाएं (कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट नीचे उल्लिखित क्रम संख्या (3) से (31) तक):—

(3) लौह धातुकर्म उद्योग

(i) समकलित लोहा और इस्पात;

(ii) लौह-मिश्र धातु

(iii) विशेष इस्पात

- (4) अलौह धातुकर्म उद्योग : प्राथमिक धातुकर्म उद्योग, अर्थात् जस्ता, सीसा, तांबा, मैंगनिज और अल्मुनियम ।
- (5) ढलाईसाल (लौह और अलौह): कास्टिंग और फोर्जिंग सहित सफाई करना अथवा चिकना करना अथवा रेत और शॉट ब्लास्टिंग द्वारा खुरदरा बनाना
- (6) कोयला (कोक सहित) उद्योग:
- (i) कोयला, लिग्नाइट, कोक, इसी प्रकार के अन्य पदार्थ;
 - (ii) इंधन केसेस (कोयला गैस, उतपादक गैस, जल गैस सहित);
- (7) विद्युत उत्पादन उद्योग;
- (8) लुगदी और कागज (कागज उत्पाद सहित) उद्योग
- (9) उर्वरक उद्योग:
- (i) नाइट्रोजनयुक्त
 - (ii) फॉस्फेटिक
 - (iii) मिश्रित
- (10) सीमेंट उद्योग: पोर्टलैंड सीमेंट (लावा सीमेंट, पाँजजोलाना सीमेंट और उनके उत्पादों सहित);
- (11) पेट्रोलियम उद्योग;
- (i) तेल शुद्धिकरण परिष्करण;
 - (ii) स्नेहन तेल और ग्रीस;
- (12) पेट्रो-रसायन उद्योग;
- (13) दवा और औषधीय उद्योग-मादक दवाएं, औषधियां और फार्मास्यूटिकल्स;
- (14) किण्वन उद्योग (आसवन और मद्य निर्माणशाला);
- (15) रबड़ (सिंथेटिक उद्योग);
- (16) पेंट और पिगमेण्ट उद्योग;
- (17) चमड़ा उद्योग;
- (18) इलैक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग;
- (19) रसायनिक उद्योग;
- (i) कोक ओवन गौड उत्पाद और कोलतार आसवन उत्पाद;

- (ii) उद्योगिक गैसों (नाइट्रोजन, आक्सीजन, एसेटेलिन, ओर्गन, कार्बन; डाईआक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ऐसी अन्य गैस;)
 - (iii) औद्योगिक कार्बन;
 - (iv) क्षार और अम्ल;
 - (v) क्रोमेट्स और डीक्रोमेट्स;
 - (vi) शीशा और इसके यौगिक पदार्थ;
 - (vii) इलेक्ट्रो रसायन (मेटेलिक सोडियम, पोटैशियम ओर मैग्नेशियम, क्लोरेट्स, पराक्लोरेट्स और पैरोक्साइड्स);
 - (viii) इलेक्ट्रोथर्मल उत्पाद (कृत्रिम अपघर्षक), कैल्शियम कारबाइड);
 - (ix) नाइट्रोजन कम्पाउंड (साइनाइड, साइनामाइड्स और नाइट्रोजन यौगिक पदार्थ);
 - (x) फोरफोरस ओर इसके यौगिक पदार्थ;
 - (xi) हेलोजेन्स और हेलोजीकृत यौगिक पदार्थ (क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन);
 - (xii) विस्फोटक पदार्थ (औद्योगिक विस्फोटको और डिटोनेटर और फ्यूज सहित);
- (20) कीट नाशक, कवकनाशी, शाकनाशक और अन्य कीटनाशक दवाईयों के उद्योग;
 - (21) संश्लेषित रेसिन और प्लास्टिक;
 - (22) मानव निर्मित फाइबर (सेल्यूलोसिक और गैर सैल्यूलोसिक) उद्योग;
 - (23) विद्युत एक्ज्यूम्यूलेटर्स का विनिर्माण और मरम्मत;
 - (24) शीशा ओर सिरेमिक;
 - (25) धातुओं की घिसाई या चमकाना;
 - (26) एसबेसटोस और इसके उत्पादों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रसंस्करण;
 - (27) वानस्पतिक और पशु स्रोतों से तेल और वसा की निकासी;
 - (28) बेनजीन और बेनजीन निहित पदार्थों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रयोग;
 - (29) कार्बन डाईसल्फाइड में संबंधित विनिर्माण, प्रक्रिया और ऑपरेशन;
 - (30) डाई और डाई उत्पाद तथा उनके माध्यम;
 - (31) अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैसों;

- (32) परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 की अनुसूची -I के भाग-II में यथाविनिर्दिष्ट जोखिम रसायन की प्रहस्तन और प्रकमण में निहित प्रक्रिया;
- (33) बूचडखानों और कसाईखानों में कार्य जिसके अन्तर्गत गिलोटिन का कार्य भी है;
- (34) रेडियोधर्मी पदार्थ जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक कचरा भी है के प्रभाव में डालने वाले कार्य और इससे संबंधित प्रक्रियाएं;
- (35) पोत विभंजन;
- (36) नमक खनन या नमक बनाने का कार्य;
- (37) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा-शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1998 की अनुसूची-ix में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय प्रक्रियाएं
- (38) बीडी बनाने का कार्य या तंबाकू जिसके अन्तर्गत तंबाकू का विनिर्माण, पेस्टिंग और हथालन भी है का प्रसंस्करण या मनःप्रभावी पदार्थ या खाद्य प्रसंस्करण में किसी रूप में एल्कोहल और मदिरा उद्योग और बार, पब, पार्टियों या इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर जहां एल्कोहलिक पदार्थ परोसे जाते हैं।

भाग -ख

व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची जहां परिवार अथवा पारिवारिक उद्यम में बालकों की सहायता के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है (भाग क के अतिरिक्त)

व्यवसाय

निम्नलिखित से संबंधित कोई व्यवसाय—

- (1) रेलों द्वारा यात्रियों, माल और डाक को इधर उधर ले जाना;
- (2) रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करना, अंगारों या राख से कोयला बीनना अथवा राख के गट्टे को साफ करना;
- (3) रेलवे स्टेशन पर बने हुए भोजनालयों में काम करना, इसमें किसी कर्मचारी अथवा विक्रेता द्वारा किया गया ऐसा कार्य भी शामिल है जिसमें एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आना जाना अथवा चलती रेलगाड़ी से चढ़ना उतरना पड़ता है;
- (4) रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित काम या कोई ऐसा काम जो रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाना हो;
- (5) किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई पत्तन प्राधिकरण;
- (6) ओटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराज;
- (7) हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग;
- (8) प्लास्टिक इकाइयाँ एवं फाइबर ग्लास वर्कशॉप;
- (9) घरेलू कामगार अथवा नौकर;
- (10) ढाबे (सड़क किनारे की खाने-पीने की दुकानें), रेस्टोरेंट, होटल, मोटल, रिसॉर्ट;

- (11) गोताखोरी;
- (12) सर्कस;
- (13) हाथियों की देखभाल;
- (14) विद्युतचालित बेकरी मशीन;
- (15) जूता निर्माण।

प्रक्रियाएं

- (1) कालीन बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है;
- (2) सीमेन्ट बनाने से लेकर बोरियों में भरने तक;
- (3) कपड़ा छपाई, रंगाई और बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है;
- (4) लाख/शीलैक विनिर्माण;
- (5) साबुन बनाना;
- (6) ऊन की सफाई;
- (7) भवन और निर्माण उद्योग जिसमें ग्रेनाइट पत्थरों का प्रसंस्करण और पॉलिश किया जाना तथा ढुलाई एवं संग्रहण, बढईगिरि, राजमिस्त्री का कार्य शामिल है;
- (8) स्लेट पैसिल का निर्माण (पैकिंग सहित);
- (9) अगेट के उत्पादों का निर्माण कार्य;
- (10) काजू और काजू के छिलके उतारने और उससे जुड़ी प्रक्रिया;
- (11) इलैक्ट्रॉनिक उद्योग में धातु की सफाई, चित्र की नक्काशी एवं टांका लगाने(सोलिडिंग) की प्रक्रिया
- (12) 'अगरबत्ती' का निर्माण;
- (13) आटोमोबाईल मरम्मत और रख-रखाव जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है, वैल्विंग इकाइयों लेथवर्क डेन्टिंग एवं पेन्टिंग;
- (14) ईंटों या खपरैलों का निर्माण;
- (15) रूई सूत की ओटाई और इसे दबाना, हौजरी का सामान बनाना;
- (16) डिटरजेंट का निर्माण;
- (17) फैबरिकेशन वर्कशॉप (फेरस एवं नान फेरस);
- (18) रत्न तराशना और उनकी पालिश करना;
- (19) क्रोमाइट और मैंग्रीज अयस्कों का रख-रखाव;
- (20) जूट के कपड़ों का निर्माण और कॉयर निर्माण;
- (21) चूना भट्टा और चूना निर्माण;
- (22) ताला बनाना;
- (23) ऐसी कोई विनिर्माण प्रक्रियाएं जिसमें सीसा का उच्छ्रादन होता है जैसे सीसा लैपित धातु को पहली बार या दूसरी बार गलाया जाना, वैल्विंग और कटाई करना, गल्वनीकृत या जिंक सिलिकेट, पोलीविनाइल क्लोराइड की वैल्विंग करना, क्रिस्टल ग्लास मास का मिश्रण (हाथ से) करना, सीसा पेन्ट की बालू हटाना या खुरचना, इनैमलिंग वर्कशॉपों में सीसे का दाहन, खान

- सीसा निकालना, नलसाजी, केबल बनाना, तार बिछाना, सीसा ढलाई, मुद्रणालयों में अक्षर की ढलाई, छर्रे बनाना, सीसा कांच फुलाना;
- (24) सीमेन्ट पाइप तथा सीमेन्ट उत्पाद और सीमेंट की अन्य वस्तुएं बनाना;
- (25) काँच, काँच के बर्तनों का निर्माण जिसमें चूड़ियाँ, ट्यूबों, बल्ब तथा इसी प्रकार के अन्य काँच उत्पाद शामिल हैं;
- (26) कीटनाशकों का निर्माण और उनका रख-रखाव;
- (27) संक्षारीय एव विषैले पदार्थों का निर्माण, प्रक्रिया एव प्रहस्तन;
- (28) जलाऊ कोयला और कोयला इष्टिकाओं का निर्माण;
- (29) खेल-कूद की ऐसी वस्तुओं का निर्माण जिसमें सिन्थेटिक सामग्री, रसायन और चमड़े का उच्छादन शामिल है;
- (30) तेल की पिराई और परिष्करण;
- (31) कागज बनाना;
- (32) चीनी मिट्टी के बरतन और सिरेमिक उद्योग;
- (33) पीतल की सभी प्रकार की चीजों का निर्माण जिसमें पीतल की कटाई, ढलाई, पालिश और वैल्विंग शामिल है;
- (34) ऐसी कृषि प्रक्रियाएं जहाँ फसल को तैयार करने में ट्रैक्टरों, फसल की कटाई और गह्राई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है;
- (35) आरा मिल- सभी प्रक्रियाएं;
- (36) रेशम प्रसंस्करण;
- (37) चमड़े के सामान के निर्माण हेतु स्किनिंग, रंगाई और प्रसंस्करण प्रक्रियाएं;
- (38) टायर निर्माण, मरम्मत, रि-ट्रीडिंग और ग्रेफाइट सज्जीकरण;
- (39) बर्तन बनाना, पालिश करना और धातु की बर्फिंग करना;
- (40) 'जरी' निर्माण तथा जरी के उपयोग से जुड़ी (सभी प्रक्रियाएं);
- (41) ग्रेफाइट पाउडर तैयार करना और उससे जुड़ी प्रक्रिया;
- (42) धातुओं की घिसाई या उन पर कांच चढ़ाना;
- (43) हीरों की कटाई और पालिश;
- (44) कचरा उठाना और कबाड़ एकत्र करना;
- (45) मशीनीकृत मछली पालन;
- (46) खाद्य प्रसंस्करण;
- (47) पेय पदार्थ उद्योग;
- (48) मसाला उद्योग के अंतर्गत मसालों की खेती, छंटनी, सुखाना एवं पैकिंग करने का कार्य;
- (49) लकड़ी प्रहस्तन और ढलाई;
- (50) लकड़ी की यांत्रिक कटाई;
- (51) भंडारागार कार्यकलाप;

- (52) मसाज पार्लर जिमनेजियम अथवा अन्य मनोरंजक अथवा मेडिकल सुविधाएं केन्द्र;
- (53) खतरनाक मशीनों के निम्नलिखित वर्गों से संबंधित प्रचालनों में –
- (क) उत्तोलक एवं लिफ्ट
- (ख) मशीनों को चढ़ाने, चैनों, रस्सियों एवं उत्तोलक विधि से जुड़ा कार्य
- (ग) घूमने वाली मशीनें
- (घ) विद्युत प्रक्रिया
- (ङ) मेटल ट्रेड से जड़े मशीने टूल्स
- (54) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के धारा 2 के खंड (ट) के उप-खंड (iv) में मुद्रण के अनुसार अर्थात् छपाई के लिए अक्षर निर्माण, लेटर प्रैस द्वारा छपाई, पाषाण छपाई, फोटोग्रेवर अथवा अन्य समान प्रक्रिया अथवा बुक बाइंडिंग का कार्य।

II. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. ए-42011/2/2016-सीएल]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : इस अनुसूची को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 35) जो 1 सितंबर, 2016 को प्रवृत्तन में आया, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और प्रतिस्थापन से पूर्व अनुसूची में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था –

- का.आ. 404(अ), तारीख 5 जून, 1989;
- का.आ. 263(अ), तारीख 29 मार्च, 1994;
- का.आ. 36(अ), तारीख 27 जनवरी, 1999;
- का.आ. 397(अ), तारीख 10 मई, 2001;
- का.आ. 1742(अ), तारीख 10 अक्टूबर, 2006;
- का.आ. 2280(अ), तारीख 25 सितंबर, 2008; और
- का.आ. 2469(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2010।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2017

S.O. 2827(E).—Whereas the draft notification further to amend the Schedule to the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) was published vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O.1022 (E), dated the 31st March, 2017 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of three months from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd April, 2017;

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, the Central Government hereby notifies, the following notification further to amend the Schedule to the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, namely:—

I. In the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, in the Schedule, for the brackets, figures and words -

- ‘(1) Mines.
- (2) Inflammable Substances or Explosives.
- (3) Hazardous Process.

Explanation.- For the purposes of this Schedule, “hazardous process” has the meaning assigned to it in clause (cb) of the Factories Act, 1948 (63 of 1948)’,.

the following shall be substituted, namely:-

“PART A

Hazardous occupations and processes in which adolescents are prohibited to work and children are prohibited to help

- (1) Mines and Collieries (underground and underwater) and related work in,-
 - (i) stone quarries;
 - (ii) brick kilns;
 - (iii) preparatory and incidental processes thereof including extraction, grinding, cutting, splitting, polishing, collection, cobbling of stones or lime or slate or silica or mica or any other such element or mineral extracted from the earth; or
 - (iv) open pit mines.
- (2) Inflammable substances and explosives such as -
 - (i) production, storage or sale of fire crackers;
 - (ii) for manufacture, storage, sale, loading, unloading or transport of explosives as defined under the Explosives Act, 1884 (4 of 1884);
 - (iii) work relating to manufacturing, handling, grinding, glazing, cutting, polishing, welding, moulding, electro-plating, or any other process involving inflammable substances;
 - (iv) waste management of inflammable substances, explosives and their by-products; or
 - (v) natural gas and other related products.

Hazardous processes (serial numbers (3) to (31) below are as specified in the First Schedule of the Factories Act, 1948 (63 of 1948))

- (3) Ferrous Metallurgical Industries
 - (i) Integrated Iron and Steel;
 - (ii) Ferro-alloys;
 - (iii) Special Steels.
- (4) Non-ferrous Metallurgical Industries: Primary Metallurgical Industries, namely zinc, lead, copper, manganese and aluminium.
- (5) Foundries (ferrous and non-ferrous): Castings and forgings including cleaning or smoothening or roughening by sand and shot blasting.
- (6) Coal (including coke) Industries:
 - (i) Coal, Lignite, Coke, similar other substance;
 - (ii) Fuel Gases (including Coal Gas, Producer Gas, Water Gas).
- (7) Power Generating Industries.
- (8) Pulp and paper (including paper products) Industries.
- (9) Fertilizer Industries:
 - (i) Nitrogenous;
 - (ii) Phosphatic;
 - (iii) Mixed.
- (10) Cement Industries: Portland Cement (including slag cement, puzzolona cement and their products).
- (11) Petroleum Industries:
 - (i) Oil Refining;
 - (ii) Lubricating Oils and Greases.

- (12) Petro-chemical Industries.
- (13) Drugs and Pharmaceutical Industries:Narcotics, Drugs and Pharmaceuticals.
- (14) Fermentation Industries (Distilleries and Breweries).
- (15) Rubber (Synthetic Industries).
- (16) Paints and Pigment Industries.
- (17) Leather Tanning Industries.
- (18) Electro-plating Industries.
- (19) Chemical Industries:
- (i) Coke Oven By-products and Coaltar Distillation products;
 - (ii) Industrial Gases (nitrogen, oxygen, acetylene, argon, carbon dioxide, hydrogen, sulphur dioxide, nitrous oxide, halogenated hydrocarbon, ozone, similar other gas);
 - (iii) Industrial Carbon;
 - (iv) Alkalies and Acids;
 - (v) Chromates and dichromates;
 - (vi) Lead and its compounds;
 - (vii) Electro chemicals (metallic sodium, potassium and magnesium, chlorates, per chlorates and peroxides);
 - (viii) Electro thermal produces (artificial abrasive, calcium carbide);
 - (ix) Nitrogenous compounds (cyanides, cyanamides, and other nitrogenous compounds);
 - (x) Phosphorus and its compounds;
 - (xi) Halogens and Halogenated compounds (chlorine, fluorine, bromine and iodine);
 - (xii) Explosives (including industrial explosives and detonators and fuses).
- (20) Insecticides, Fungicides, Herbicides and other pesticides industries.
- (21) Synthetic Resin and Plastics.
- (22) Man-made Fiber (Cellulosic and non-cellulosic) industry.
- (23) Manufacture and repair of electrical accumulators.
- (24) Glass and Ceramics.
- (25) Grinding or glazing of metals.
- (26) Manufacture, handling and processing of asbestos and its products.
- (27) Extraction of oils and fats from vegetable and animal sources.
- (28) Manufacture, handling and use of benzene and substances containing benzene.
- (29) Manufacturing processes and operations involving carbon disulphide.
- (30) Dyes and dyestuff including their intermediates.
- (31) Highly flammable liquids and gases.
- (32) Process involving handling and processing of hazardous and toxic chemicals as specified in Part-II of the Schedule I to the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989.
- (33) Work in slaughter houses and abattoirs including work with guillotines.
- (34) Work involving exposure to radioactive substances including electronic waste and incidental processes therein.
- (35) Ship breaking.
- (36) Salt Mining or Salt Pan Work.
- (37) Hazardous processes as specified in Schedule IX to the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998.
- (38) Work in beedi-making or processing of tobacco including manufacturing, pasting and handling tobacco or any drugs or psychotropic substance or alcohol in any form in food processing and beverage industry and at bars, pubs, parties or other similar occasions that serve alcoholic substances.

PART B

List of occupations and processes where children are prohibited to help in family or family enterprises (in addition to PART A)

Occupations

Any occupation concerned with –

1. transport of passengers, goods or mails by railways;
2. cinder picking, clearing of an ash pit or building operation in the railway premises;
3. work in a catering establishment at a railway station, involving the movement of a vendor or any other employee of the establishment from one platform to another or into or out of a moving train;

4. work relating to the construction of a railway station or with any other work where such work is done in close proximity to or between the railway tracks;
5. a port authority within the limits of any port;
6. automobile workshops and garages;
7. handloom and powerloom industry;
8. plastic units and fiberglass workshops;
9. domestic workers or servants;
10. dhabas (roadside eateries), restaurants, hotels, motels, resorts;
11. diving;
12. circus;
13. caring of Elephant;
14. power driven bakery machine;
15. shoe making.

Processes

1. Carpet-weaving including preparatory and incidental process thereof;
2. Cement manufacture, including bagging of cement;
3. Cloth printing, dyeing and weaving including processes, preparatory and incidental thereto;
4. Shellac manufacture;
5. Soap manufacture;
6. Wool-cleaning;
7. Building and construction industry including processing and polishing of granite stones; hauling and stacking materials; carpentry; masonry;
8. Manufacture of slate pencils (including packing);
9. Manufacture of products from agate;
10. Cashew and cashew nut descaling and processing;
11. Metal cleaning, photo engraving and soldering processes in electronic industries;
12. Aggarbatti manufacturing;
13. Automobile repairs and maintenance including processes incidental thereto namely, welding, lathe work, dent beating and painting;
14. Roof tiles units;
15. Cotton ginning and processing and production of hosiery goods;
16. Detergent manufacturing;
17. Fabrication workshops (ferrous and non-ferrous);
18. Gem cutting and polishing;
19. Handling of chromite and manganese ores;
20. Jute textile manufacture and coir making;
21. Lime kilns and manufacture of lime;
22. Lock making;
23. Manufacturing processes having exposure to lead such as primary and secondary smelting, welding and cutting of lead-painted metal constructions, welding of galvanized or zincsilicate, polyvinyl chloride, mixing (by hand) of crystal glass mass, sanding or scraping of leadpaint, burning of lead in enamelling workshops, lead mining, plumbing, cable making, wirepatenting, lead casting, type founding in printing shops. shot making and lead glass blowing;

24. Manufacture of cement pipes, cement products and other related work;
25. Manufacture of glass, glass ware including bangles, florescent tubes, bulbs and other similar glass products;
26. Manufacturing or handling of pesticides and insecticides;
27. Manufacturing or processing and handling of corrosive and toxic substances;
28. Manufacturing of burning coal and coal briquettes;
29. Manufacturing of sports goods involving exposure to synthetic materials, chemicals and leather;
30. Oil expelling and refinery;
31. Paper making;
32. Potteries and ceramic industry;
33. Polishing, moulding, cutting, welding and manufacturing of brass goods in all forms;
34. Processes in agriculture where tractors, threshing and harvesting machines are used and chaff cutting;
35. Saw mill – all processes;
36. Sericulture processing;
37. Skinning, dyeing and processes for manufacturing of leather and leather products;
38. Tyre making, repairing, re-treading and graphite beneficiation;
39. Utensils making, polishing and metal buffing;
40. 'Zari' making and processes involving the use of *zari* (all processes);
41. Graphite powdering and incidental processing;
42. Grinding or glazing of metals;
43. Diamond cutting and polishing;
44. Rag picking and scavenging;
45. Mechanized fishing;
46. Food processing;
47. Beverage industry;
48. Cultivating, sorting, drying and packaging in spice industry;
49. Timber handling and loading;
50. Mechanical lumbering;
51. Warehousing;
52. Massage parlours, gymnasiums, or other recreational centres, or in medical facilities;
53. Operations involving the following dangerous machines:-

- (a) hoists and lifts;
- (b) lifting machines, chains, ropes and lifting tackles;
- (c) revolving machinery;
- (d) power presses;
- (e) machine tools used in the metal trades;

54. Composing types for printing, printing by letter press, lithography, photogravure or other similar process or book-binding, as specified in sub-clause (iv) of clause (k) of section 2 of the Factories Act, 1948.”

II. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. A-42011/2/2016-CL]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Note : The Schedule was substituted by the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016 (35 of 2016) which came into force with effect from the 1st day of September, 2016 and before the substitution, the Schedule was amended by –

- (i) S.O. 404(E), dated, the 5th June, 1989
- (ii) S.O. 263(E), dated, the 29th March, 1994;
- (iii) S.O. 36(E), dated, the 27th January, 1999;
- (iv) S.O. 397(E), dated, the 10th May, 2001;
- (v) S.O. 1742(E), dated, the 10th October, 2006;
- (vi) S.O. 2280(E), dated, the 25th September, 2008; and
- (vii) S.O. 2469(E), dated, the 8th October, 2010.